भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 925
उत्तर देने की तारीख : 05.02.2026

संभल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

925. श्री जिया उर रहमान :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार संभल जिले (उत्तर प्रदेश) सहित देशभर के छोटे व्यापारी, निर्यातक और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बढ़ती लागत, ऋण की कमी, विलंबित भुगतान और सीमित बाजार पहुंच के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो एमएसएमई की वृद्धि को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने, 'व्यापार करने में सुगमता' में सुधार करने, घरेलू व्यापार को मजबूत करने, वित्त तक पहुंच में सुधार करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने व्यापारियों सहित एमएसएमई के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने हेतु कई पहलें की हैं। संभल जिला, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसएमई के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई।
ii. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी।
iii. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ उठाने के लिए दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
iv. एमएसएमई के स्तर में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन हेतु 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार।
v. शिकायत निवारण और एमएसएमई की सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने हेतु जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" की शुरुआत की गई।
vi. वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विषय में शिकायतें दर्ज करने और बकाया देयताओं की निगरानी करने के लिए समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

इसके अलावा, सरकार ने एमएसएमई के लिए समय पर और पर्याप्त वित्त सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

- क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 करोड़ रुपए की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण (दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी)।
- एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।

- इसके अलावा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म-उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण आधारित सब्सिडी प्रदान की जाती है। परियोजना लागत के 15% से 35% तक, विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

एमएसएमई क्षेत्र से निर्यात सहित समस्त संवर्धन के लिए, सरकार ने समग्र निर्यात इको सिस्टम को मजबूत करने हेतु एक व्यापक ढांचे के रूप में निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी है। ईपीएम के तहत, सहायता निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए व्यापार वित्त सुविधा पर ध्यान केंद्रित करता है, और निर्यात दिशा, जो निर्यात-गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, बाजार-पहुंच हस्तक्षेप, लॉजिस्टिक्स सुविधा और निर्यात इको सिस्टम-निर्माण उपायों सहित गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना एमएसएमई को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए सहायता प्रदान करती है और विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी की सुविधा प्रदान करती है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन करती है।

एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए अतिरिक्त नीतिगत उपायों के रूप में, एमएसएमई की सहायता के लिए बजट 2026 में निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

i. इक्विटी समर्थन:
   - एक समर्पित 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई विकास कोष।
   - आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपए का समावेशन।

ii. ट्रेडस के माध्यम से परिसमापन समर्थन

iii. सरकार द्वारा, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में, 'कॉर्पोरेट मित्र' विकसित करने के लिए व्यावसायिक संस्थानों को सुविधा प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता प्राप्त हो सके।

*****